संख्या - 004/वी.जी.एल/26
भारत सरकार
केंद्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 27.02.2009

कार्यालय आदेश संख्या 04/02/09

विषय: जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण पर भारत सरकार का संकल्प ।

कृपया आयोग के दिनांक 17.05.2004 के कार्यालय आदेश सं. 33/5/2004 का संदर्भ लें जिसमें भारत सरकार ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भ्रष्टाचार के आरोपों अथवा कार्यालय के दुरूपयोग को अनावृत करने वाली लिखित शिकायतें प्राप्त करने तथा उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिए ''मनोनीत अभिकरण'' के रूप में प्राधिकृत किया था । मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण संकल्प के अंतर्गत आयोग द्वारा भेजी गई शिकायतों पर दो सप्ताह की अवधि के भीतर अपनी अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित था ।

2. जनहित प्रकटीकरण तथा मुखबिर संरक्षण शिकायतों पर अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने संबंधी मामले पर आयोग में पुर्नविचार किया गया तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को हो रही कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, आयोग द्वारा अब यह निर्णय लिया गया है कि रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए समय सीमा को बढ़ाया जाए । अब से, आयोग के संदर्भ की प्राप्ति से **एक माह** की अवधि के भीतर मुख्य सतर्कता अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ।

3. आयोग की उपर्युक्त समय सीमा का सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी सख्ती से अनुपालन करें ।

-ह0/-

(शालिनी दरबारी)
निदेशक

सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी